न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 59/2026 बउनवानी बी.एस.शर्मा बनाम उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
निवासी 32 ए राजबिहार कॉलोनी राज. कन्या महाविद्यालय के पास सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/110

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.4.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 2.2.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **वर्ष 2002 की मतदाता सूची मे शालनी कम संख्या 589 मकान नम्बर 121 पत्नि रामबाबू दर्ज है एवं सुनीता कम संख्या 590 मकान नम्बर 121 पिता सूरजमल भाग संख्या 130 वार्ड नम्बर 34 पुलिस लाईन दर्ज किया गया है के संबंध मे कुल 5 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना।** " उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/सू0का0अ0/2026/319 दिनांक 15.4..2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 2.2.2026 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा ईपिक नम्बर उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज कर जरिये पत्रांक 184 दिनांक 24.2.2026 द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अपीलान्ट द्वारा लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः वांछित सूचनाऐ उपलब्ध करवाने बाबत लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 2.2.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने से चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner